

पत्रांक: 176/E/SBR

दिनांक: 21-05-2024

न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सोनभद्र।

शासन के पत्र सं०-21/तीस-3-2019 परिवहन अनुभाग -3 लखनऊ, 14 फरवरी 2019 के परिवहन आयुक्त के पत्रांक-618 G/E/2019- T कवर/2018 अधिष्ठान अनुभाग लखनऊ दिनांक-30.07.2019 एवं संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं०-M.A.C.T. 73/30.03.2020 प्रशासन अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक-25.02.2020 सपठित माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक सं०-7135/2022/Admin G -1 Section Allahabad दिनांकित-01.06.2022 एवं विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक संख्या- M.A.C.T. 256/30-03-2022 परिवहन अनुभाग 2003 लखनऊ दिनांक -13.06.2022 के अनुपालन में संविदा के आधार पर लेखा लिपिक व आशुलिपिक की नियुक्ति के सम्बंध में पूर्व में समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञप्ति का प्रकाश कराया गया था, किन्तु किसी भी सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा लेखा लिपिक व आशुलिपिक की नियुक्ति के सम्बंध आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः संविदा के आधार पर **लेखा लिपिक व आशुलिपिक** की नियुक्ति के सम्बंध में पुनः समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशन के माध्यम से आवेदन दिनांक- 05.06.2024 तक प्राप्त करने तथा सभी कार्यालयों के नोटिस बोर्ड तथा जनपद न्यायालय के डी.सी.ई.पी. पोर्टल के माध्यम से कराया जाय।

दिनांक-20.05.2024

(खलीकुज्जमा)

पीठासीन अधिकारी,

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

सोनभद्र

6/1/2024
[Handwritten signature]